रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D.221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग 2—अनुभाग 1क
PART II—Section 1A
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 36] नई दिल्ली, शनिवार, 21 सितम्बर, 1974/30 भाद्र, 1896 (शक) [खण्ड X
No. 36] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 21, 1974/BHADRA 30, 1896 (SAKA) [Vol. X

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS
(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, September 21, 1974/*Bhadra* 30, 1896 (*Saka*)

The following translation in Hindi of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 is hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative text thereof in Hindi under clause (*a*) of sub-section (*1*) of section 5 of the Official Languages Act, 1963 (19 of 1963) :—

कर्मचारी भविष्य-निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952

(1952 का अधिनियम सं० 19)

[4 मार्च, 1952]

कारखानों और अन्य स्थापनों के कर्मचारियों के लिए भविष्य-निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि की स्थापना का उपबन्ध करने के लिए

अधिनियम

संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और लागू होना ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम कर्मचारी भविष्य-निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 है ।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है ।

(3) धारा 16 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए यह निम्नलिखित को लागू होगा :—

(क) हर ऐसे स्थापन को, जो अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट किसी उद्योग में लगा हुआ कारखाना है और जिसमें बीस या अधिक व्यक्ति नियोजित हैं, तथा

(ख) बीस या अधिक व्यक्ति नियोजित करने वाले किसी अन्य स्थापन को या ऐसे स्थापनों के वर्ग को जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे :

परन्तु केन्द्रीय सरकार, अपने ऐसा करने के आशय की दो मास से अन्यून की सूचना राजपत्र में अधिसूचना द्वारा देने के पश्चात्, इस अधिनियम के उपबन्धों को बीस से कम संख्या में इतने व्यक्तियों को जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, नियोजित करने वाले किसी भी स्थापन को लागू कर सकेगी ।

(4) इस धारा की उपधारा (3) में या धारा 16 की उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी जहां केन्द्रीय सरकार को या तो इस निमित्त सरकार को आवेदन किए जाने पर या अन्यथा यह प्रतीत होता है कि किसी स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या के बीच यह करार हो गया है कि इस अधिनियम के उपबन्ध उस स्थापन को लागू कर दिए जाने चाहिए वहां वह उस स्थापन को इस अधिनियम के उपबन्ध राजपत्र में अधिसूचना द्वारा लागू कर सकेगी ।

(5) वह स्थापन, जिसे यह अधिनियम लागू होता है, इस बात के होते हुए भी कि उसमें नियोजित व्यक्तियों की संख्या किसी समय बीस से कम हो जाती है, इस अधिनियम द्वारा शासित होता रहेगा ।

परिभाषाएं । 2. इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "समुचित सरकार" से—

(i) केन्द्रीय सरकार के या उसके नियंत्रण के अधीन किसी स्थापन के सम्बन्ध में या किसी रेल कम्पनी, महापत्तन, खान, तेल-क्षेत्र या नियंत्रित उद्योग से संसक्त स्थापन के सम्बन्ध में या एक से अधिक राज्यों में विभाग या शाखाओं वाले किसी स्थापन के सम्बन्ध में, केन्द्रीय सरकार; और

(ii) किसी अन्य स्थापन के सम्बन्ध में राज्य सरकार,

अभिप्रेत है ।

(ख) "आधारिक मजदूरी" से ऐसी समस्त उपलब्धियां अभिप्रेत हैं जिन्हें काम पर रहने या मजदूरी सहित छुट्टी पर रहने के समय कर्मचारी नियोजन की संविदा के निबन्धनों के अनुसार उपार्जित करता है और जो उसे नकद संदत्त की जाती हैं या संदेय हैं, किन्तु इसके अन्तर्गत निम्नलिखित नहीं हैं :—

(i) किसी खाद्य संबंधी रियायत का नकद मूल्य,

(ii) कोई मंहगाई भत्ता (अर्थात् निर्वाह व्यय में वृद्धि के कारण कर्मचारी को देय सब नकद संदाय, चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, मकान किराया भत्ता, अतिकालिक भत्ता, बोनस, कमीशन या ऐसा ही कोई अन्य भत्ता जो कर्मचारी को उसके नियोजन या ऐसे नियोजन में किए गए काम के बारे में संदेय है,

(iii) नियोजक द्वारा दिए गए उपहार ;

(ग) "अभिदाय" से वह अभिदाय अभिप्रेत है जो किसी स्कीम के अधीन किसी सदस्य के बारे में संदेय है;

(घ) "नियंत्रित उद्योग" से वह उद्योग अभिप्रेत है जिसका संघ द्वारा नियंत्रण केन्द्रीय अधिनियम द्वारा लोक हित में समीचीन होना घोषित किया जा चुका है;

(ङ) "नियोजक" से—

(i) किसी ऐसे स्थापन के सम्बन्ध में जो कारखाना है, कारखाने का स्वामी या अधिष्ठाता अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत ऐसे स्वामी या अधिष्ठाता का अभिकर्ता, मृत स्वामी या मृत अधिष्ठाता का विधिक प्रतिनिधि और जहां कोई व्यक्ति कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (च) के अधीन कारखाने के प्रबन्धक के रूप में नामित है, वहां ऐसा नामित व्यक्ति आता है, तथा 19

(ii) किसी अन्य स्थापन के सम्बन्ध में वह व्यक्ति, या वह प्राधिकारी जिसका किसी स्थापन के कार्यकलाप पर अन्तिम नियंत्रण है, और जहां उक्त कार्यकलाप किसी प्रबन्धक, प्रबन्ध निदेशक या प्रबन्ध अभिकर्ता को सौंप दिए गए हैं वहां ऐसा प्रबन्धक, प्रबन्ध निदेशक या प्रबन्ध अभिकर्ता अभिप्रेत है;

(च) "कर्मचारी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो स्थापन में या उसके सम्बन्ध में चाहे शारीरिक हो या अन्य मजदूरी पर नियोजित है, और जो नियोजक से सीधे या परतः अपनी मजदूरी पाता है और इसके अन्तर्गत स्थापन में या उसके सम्बन्ध में ठेकेदार के द्वारा या उसके माध्यम से नियोजित कोई व्यक्ति है ;

(चच) "छूट-प्राप्त कर्मचारी" से वह कर्मचारी अभिप्रेत है जिसे यदि धारा 17 के अधीन प्रदत्त छूट न मिली होती तो स्कीम लागू होती ;

(चचच) "छूट-प्राप्त स्थापन" से वह स्थापन अभिप्रेत है जिसके बारे में धारा 17 के अधीन किसी स्कीम के सभी या किन्हीं उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट अनुदत्त की गई है, चाहे ऐसी छूट स्थापन को या उसमें नियोजित किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को अनुदत्त की गई हो ;

(छ) "कारखाना" से अपनी प्रसीमाओं सहित कोई ऐसा परिसर अभिप्रेत है जिसके किसी भाग में शक्ति की सहायता से या उसके बिना विनिर्माण प्रक्रिया की जा रही है या आमतौर से इस तरह की जाती है ;

(छछ) "कुटुम्ब पेंशन निधि" से कुटुम्ब पेंशन स्कीम के अधीन स्थापित कुटुम्ब पेंशन निधि अभिप्रेत है ;

(छछछ) "कुटुम्ब पेंशन स्कीम" से धारा 6क के अधीन विरचित कर्मचारी कुटुम्ब पेंशन स्कीम अभिप्रेत है ;

(ज) "निधि" से स्कीम के अधीन स्थापित भविष्य-निधि अभिप्रेत है ;

(झ) "उद्योग" से अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट कोई उद्योग अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत धारा 4 के अधीन अधिसूचना द्वारा अनुसूची में जोड़ा गया कोई अन्य उद्योग है ;

(झक) "विनिर्माण" या "विनिर्माण प्रक्रिया" से किसी वस्तु या पदार्थ के प्रयोग, विक्रय, परिवहन, परिदान या व्ययन की दृष्टि से उसका निर्माण, परिवर्तन, मरम्मत, अलंकरण, परिष्करण, पैकिंग, स्नेहन, धुलाई, सफाई, उन्मूलन, विघटन या अन्यथा अभिक्रियान्वयन या अनुकूलन करने के लिए कोई प्रक्रिया अभिप्रेत है;

(ञ) "सदस्य" से निधि का सदस्य अभिप्रेत है;

(ट) "कारखाने के अधिष्ठाता" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे कारखाने के कामकाज पर अन्तिम नियंत्रण प्राप्त है और जहां उक्त कामकाज प्रबन्ध अभिकर्ता को सौंपे जाते हैं वहां ऐसा अभिकर्ता कारखाने का अधिष्ठाता समझा जाएगा;

(ठ) "स्कीम" से धारा 5 के अधीन विरचित कर्मचारी भविष्य-निधि स्कीम अभिप्रेत है ।

सब विभागों और शाखाओं का स्थापन के अन्तर्गत होना ।

2क. शंकाओं के निराकरण के लिए एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि जहां कोई स्थापन विभिन्न विभागों से मिलकर बना है या जहां किसी स्थापन में शाखाएं हैं चाहे वे एक ही स्थान पर हों या विभिन्न स्थानों पर वहां ऐसे सभी विभागों या शाखाओं को उसी स्थापन का भाग माना जाएगा ।

ऐसे स्थापन को जिसकी किसी अन्य स्थापन के साथ एक ही भविष्य-निधि है, अधिनियम लागू करने की शक्ति ।

3. जहां किसी स्थापन को इस अधिनियम के लागू होने के ठीक पूर्व ऐसी भविष्य-निधि अस्तित्व में है, जो इस स्थापन में नियोजित कर्मचारियों के लिए और किसी अन्य स्थापन के कर्मचारियों के लिए एक ही है, वहां केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबन्ध उस अन्य स्थापन को भी लागू होंगे ।

अनुसूची 1 में जोड़ने की शक्ति ।

4. (1) केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अनुसूची 1 में किसी ऐसे अन्य उद्योग को जोड़ सकेगी जिसके कर्मचारियों के बारे में उसकी यह राय है कि इस अधिनियम के अधीन भविष्य-निधि स्कीम की विरचना की जानी चाहिए और तदुपरि इस भांति जोड़े गए उद्योग के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट उद्योग है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन की सब अधिसूचनाएं, निकाले जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र संसद् के समक्ष रखी जाएंगी ।

कर्मचारी भविष्य-निधि स्कीम ।

5. (1) केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा कर्मचारियों के लिए अथवा कर्मचारियों के किसी वर्ग के लिए इस अधिनियम के अधीन भविष्य-निधियों की स्थापना के लिए कर्मचारी भविष्य-निधि स्कीम कहलाने वाली स्कीम विरचित कर सकेगी और उन स्थापनों या स्थापनों के वर्ग को विनिर्दिष्ट कर सकेगी जिनको उक्त स्कीम लागू होगी और स्कीम विरचित किए जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र इस अधिनियम और स्कीम के उपबन्धों के अनुसार निधि स्थापित की जाएगी ।

(1क) निधि धारा 5क के अधीन गठित केन्द्रीय बोर्ड में निहित होगी और उसके द्वारा प्रशासित होगी ।

(1ख) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उपधारा (1) के अधीन विरचित स्कीम अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट सब बातों के लिए या उनमें से किसी के लिए उपबन्ध कर सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन विरचित स्कीम यह उपबन्ध कर सकेगी कि उसके उपबन्धों में से कोई उस तारीख को, जो इस निमित्त उस स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए, या तो भविष्यलक्षी या भूतलक्षी रूप से प्रभावशील होगा ।

केन्द्रीय बोर्ड ।

5क. (1) केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसी तारीख से जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए उन राज्यक्षेत्रों के लिए जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है एक न्यासी बोर्ड (जिसे इस अधिनियम में इसके पश्चात् केन्द्रीय बोर्ड कहा गया है) गठित कर सकेगी जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

(क) एक अध्यक्ष जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा;

(ख) पांच से अनधिक व्यक्ति जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने पदधारियों में से नियुक्त किए जाएंगे;

(ग) उन राज्यों की सरकारों का जिन्हें केन्द्रीय सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे प्रतिनिधित्व करने वाले पन्द्रह से अनधिक व्यक्ति जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे;

(घ) ऐसे स्थापनों के, जिन्हें स्कीम लागू होती है, नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले छह व्यक्ति जिनकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा नियोजकों के ऐसे संगठनों से, जिन्हें केन्द्रीय सरकार इस निमित्त मान्यता दे परामर्श करने के पश्चात् की जाएगी; और

(ङ) ऐसे स्थापनों के, जिन्हें स्कीम लागू होती है, कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले छह व्यक्ति जिनकी नियुक्ति कर्मचारियों के ऐसे संगठनों से, जिन्हें केन्द्रीय सरकार इस निमित्त मान्यता दे, परामर्श करने के पश्चात् की जाएगी ।

(2) वे निबन्धन और शर्तें जिनके अधीन केन्द्रीय बोर्ड का कोई सदस्य नियुक्त किया जा सकेगा और केन्द्रीय बोर्ड की बैठकों का समय, स्थान और प्रक्रिया वह होगी जो स्कीम में उपबन्धित की जाए ।

(3) केन्द्रीय बोर्ड अपने में निहित निधि का प्रशासन धारा 6क के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उस रीति से करेगा जो स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए ।

(4) केन्द्रीय बोर्ड ऐसे अन्य कृत्य करेगा जिनके करने की अपेक्षा स्कीम और कुटुम्ब पेंशन स्कीम के किन्हीं उपबन्धों के द्वारा या अधीन उससे की जाए ।

राज्य बोर्ड ।

5ख. (1) केन्द्रीय सरकार, किसी राज्य सरकार से परामर्श करने के पश्चात् उस राज्य के लिए न्यासी बोर्ड का (जिसे इसमें इसके आगे राज्य बोर्ड कहा गया है) गठन ऐसी रीति में जो कि स्कीम में उपबन्धित की जाए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा कर सकेगी ।

(2) राज्य बोर्ड ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर उसे सौंपे ।

(3) वे निबन्धन और शर्तें, जिनके अधीन राज्य बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया जा सकेगा और राज्य बोर्ड की बैठकों का समय, स्थान और प्रक्रिया वह होगी जो स्कीम में उपबन्धित की जाए ।

न्यासी बोर्ड का निगमित निकाय होना ।

5ग. धारा 5क या धारा 5ख के अधीन गठित हर न्यासी बोर्ड अपने गठन की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट नाम से शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा वाला एक निगमित निकाय होगा और उक्त नाम से वह वाद ला सकेगा और उसके विरुद्ध वाद लाया जा सकेगा ।

अधिकारियों की नियुक्ति ।

5घ. (1) केन्द्रीय सरकार एक केन्द्रीय भविष्य-निधि आयुक्त की नियुक्ति करेगी जो केन्द्रीय बोर्ड या मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा और उस बोर्ड के साधारण नियंत्रण और अधीक्षण के अधीन होगा ।

(2) केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय भविष्य-निधि-आयुक्त को उसके कर्त्तव्यों के निर्वहन में सहायता देने के लिए इतने भविष्य-निधि-उपायुक्त, प्रादेशिक-भविष्य-निधि-आयुक्त और अन्य अधिकारी, जिनका अधिकतम मासिक वेतन पांच सौ रुपए से कम न हो, नियुक्त कर सकेगी ।

(3) केन्द्रीय बोर्ड ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को जिन्हें वह स्कीम और कुटुम्ब पेंशन स्कीम के दक्ष प्रशासन के लिए आवश्यक समझे, नियुक्त कर सकेगा ।

(4) केन्द्रीय भविष्य-निधि-आयुक्त या भविष्य-निधि-उपायुक्त या प्रादेशिक भविष्य-निधि-आयुक्त के पद पर या केन्द्रीय बोर्ड के अधीन किसी अन्य पद पर जिसका अधिकतम मासिक वेतन कम से कम पांच सौ रुपए है, नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श के पश्चात् ही की जाएगी :

परन्तु ऐसा परामर्श किसी ऐसी नियुक्ति के बारे में आवश्यक नहीं होगा—

(क) जो एक वर्ष से अनधिक कालावधि के लिए हो, या

(ख) यदि नियुक्त किया जाने वाला व्यक्ति अपनी नियुक्ति के समय—

(i) भारतीय प्रशासन सेवा का सदस्य है, या

(ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या केन्द्रीय बोर्ड की सेवा में वर्ग 1 या वर्ग 2 के पद पर है ।

(5) राज्य बोर्ड, सम्पृक्त राज्य सरकार के अनुमोदन से, ऐसे कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति कर सकेगा जिन्हें वह आवश्यक समझे ।

(6) केन्द्रीय भविष्य-निधि-आयुक्त, भविष्य-निधि-उपायुक्त और प्रादेशिक भविष्य-निधि-आयुक्त की भर्ती की रीति, वेतन और भत्ते, अनुशासन और सेवा की अन्य शर्तें वे होंगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं और ये वेतन और भत्ते निधि में से दिए जाएंगे ।

(7) केन्द्रीय बोर्ड के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती की रीति, वेतन और भत्ते, अनुशासन और सेवा की अन्य शर्तें वे होंगी जो केन्द्रीय बोर्ड केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से विनिर्दिष्ट करे ।

(8) राज्य बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती की रीति, वेतन और भत्ते, अनुशासन और सेवा की अन्य शर्तें वे होंगी जो संपृक्त राज्य सरकार के अनुमोदन से वह बोर्ड विनिर्दिष्ट करे ।

प्रत्यायोजन ।

5ङ. केन्द्रीय बोर्ड केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से और राज्य बोर्ड सम्पृक्त राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से अपने अध्यक्ष को या अपने किसी भी अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन की अपनी ऐसी शक्तियों और कृत्यों को जिन्हें वह स्कीम या कुटुम्ब पेंशन स्कीम के दक्ष प्रशासन के लिए आवश्यक समझे, ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के, यदि कोई हों, अधीन, जैसी वह विनिर्दिष्ट करे, प्रत्यायोजित कर सकेगा ।

अभिदाय और वे विषय जो स्कीमों में उपबन्धित किए जा सकेंगे ।

6. वह अभिदाय जो नियोजक निधि में देगा कर्मचारियों में से हर एक को, चाहे वह उसके द्वारा सीधे या ठेकेदार के द्वारा या माध्यम से नियोजित हो, तत्समय संदेय आधारिक मजदूरी, महंगाई भत्ते और प्रतिधारण भत्ते का (यदि कोई हो) सवा छह प्रतिशत होगा और कर्मचारी का अभिदाय उसके बारे में नियोजक द्वारा संदेय अभिदाय के बराबर होगा, और यदि कोई कर्मचारी ऐसी वांछा करता है और यदि स्कीम में उसके लिए उपबन्ध है, तो अभिदाय वह रकम हो सकेगा जो उसकी आधारिक मजदूरी, महंगाई भत्ते और प्रतिधारण भत्ते के (यदि कोई हो) आठ सही एक बटा तीन प्रतिशत से अधिक न हो :

परन्तु किसी स्थापन या स्थापनों के वर्ग को जिसे केन्द्रीय सरकार ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह ठीक समझे राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट कर सकेगी कि यह धारा इस उपान्तरण के अधीन लागू होगी कि "सवा छह प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "आठ प्रतिशत" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे :

परन्तु यह और भी कि जहां इस अधिनियम के अधीन संदेय किसी अभिदाय की रकम में रुपए का कोई अंश आता है वहां स्कीम उस अंश को निकटतम रुपए, आधे रुपए या चौथाई रुपए में पूर्णांकित करने के लिए उपबन्ध कर सकेगी ।

स्पष्टीकरण 1—इस धारा के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि महंगाई भत्ते के अन्तर्गत कर्मचारी को अनुज्ञात किसी खाद्य सम्बन्धी रियायत का नकद मूल्य भी है ।

स्पष्टीकरण 2—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "प्रतिधारण भत्ते" से किसी कारखाने या अन्य स्थापन के किसी कर्मचारी को किसी ऐसी कालावधि के दौरान जब कि स्थापन में काम नहीं हो रहा है उसकी सेवाओं के प्रतिधारण के लिए तत्समय संदेय भत्ता अभिप्रेत है ।

कर्मचारी कुटुम्ब पेंशन स्कीम ।

6क. (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी ऐसे स्थापन या स्थापन-वर्ग के, जिसको यह अधिनियम लागू होता है, कर्मचारियों के लिए कुटुम्ब पेंशन और जीवन बीमा प्रसुविधाओं की व्यवस्था करने के प्रयोजनार्थ कर्मचारी कुटुम्ब पेंशन स्कीम कही जाने वाली एक स्कीम विरचित कर सकेगी ।

(2) कुटुम्ब पेंशन स्कीम की विरचना के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र, एक कुटुम्ब पेंशन निधि स्थापित की जाएगी जिसमें समय-समय पर ऐसे हर कर्मचारी के बारे में--

(क) धारा 6 के अधीन नियोजक द्वारा अभिदाय तथा कर्मचारी द्वारा अभिदाय के रूप में संदेय रकम के चौथाई से अनधिक ऐसे प्रभाग का संदाय किया जाएगा जो कुटुम्ब पेंशन स्कीम में विनिर्दिष्ट किया जाए,

(ख) धारा 17 की उपधारा (6) के अधीन छूट प्राप्त स्थापन के नियोजक द्वारा संदेय राशियों का संदाय किया जाएगा, तथा

(ग) धारा 6 के अधीन नियोजक-अभिदाय में से खण्ड (क) के अनुसरण में संदेय रकम से अन्यून ऐसी राशियों का संदाय किया जाएगा जो केन्द्रीय सरकार संसद् द्वारा, इस निमित्त विधि द्वारा सम्यक् विनियोग किए जाने के पश्चात् विनिर्दिष्ट करे ।

(3) कुटुम्ब पेंशन निधि केन्द्रीय बोर्ड में निहित होगी और उसके द्वारा प्रशासित की जाएगी ।

(4) कुटुम्ब पेंशन स्कीम अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट सब बातों के लिए या उनमें से किसी के लिए उपबन्ध कर सकेगी ।

(5) कुटुम्ब पेंशन स्कीम यह उपबन्ध कर सकेगी कि उसके कोई उपबन्ध या तो भविष्यलक्षी रूप से या भूतलक्षी रूप से उस तारीख को प्रभावी होंगे जो उस स्कीम में इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए ।

केन्द्रीय सरकार द्वारा विशेष अनुदान ।

6ख. केन्द्रीय सरकार, संसद् द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा सम्यक् विनियोग के किए जाने के पश्चात्, कुटुम्ब पेंशन स्कीम के प्रशासन के सम्बन्ध में सब व्ययों की, जो उक्त स्कीम द्वारा या के अधीन उपबन्धित प्रसुविधाओं के खर्च हेतु व्यय न हों, पूर्ति के लिए कुटुम्ब पेंशन निधि में ऐसी अतिरिक्त राशियों का संदाय करेगी जो उसके द्वारा अवधारित की जाएं ।

स्कीम का उपान्तरण

7. (1) केन्द्रीय सरकार, यथास्थिति, स्कीम या कुटुम्ब पेंशन स्कीम में परिवर्धन, संशोधन या फेरफार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा कर सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन की सब अधिसूचनाएं अपने निकाले जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र संसद् के समक्ष रखी जाएंगी ।

नियोजकों द्वारा शोध्य धन का अवधारण ।

7क. (1) केन्द्रीय भविष्य-निधि-आयुक्त, कोई भी उप-भविष्य-निधि-आयुक्त या कोई भी प्रादेशिक भविष्य-निधि-आयुक्त किसी नियोजक से, यथास्थिति, इस अधिनियम, स्कीम या कुटुम्ब पेंशन स्कीम के किसी उपबन्ध के अधीन शोध्य रकम का अवधारण आदेश द्वारा कर सकेगा और इस प्रयोजन के लिए ऐसी जांच कर सकेगा जो वह आवश्यक समझे ।

(2) उपधारा (1) के अधीन जांच करने वाले अधिकारी को, ऐसी जांच के प्रयोजनों के लिए, वही शक्तियां होंगी जो निम्नलिखित विषयों के बारे में, अर्थात् :--

(क) किसी व्यक्ति को हाजिर कराने या शपथ पर उसकी परीक्षा करने;

(ख) दस्तावेजों के प्रकटीकरण तथा पेश करने की अपेक्षा करने;

(ग) शपथ पत्र पर साक्ष्य लेने;

(घ) साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालने के बारे में,

वाद का विचारण करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन न्यायालय को है और ऐसी कोई भी जांच भारतीय दण्ड संहिता धारा 193 और 228 के अन्तर्गत और धारा 196 के प्रयोजनों के लिए न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी । 1908 का 5 1860 का 45

(3) किसी नियोजक द्वारा शोध्य रकम अवधारित करने वाला कोई आदेश उपधारा (1) के अधीन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि नियोजक को अपना मामला अभ्यावेदित करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

(4) इस धारा के अधीन किया गया आदेश अन्तिम होगा और किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

नियोजकों से शोध्य धनों की वसूली का ढंग।

8. कोई भी रकम जो—

(क) नियोजक से, उस स्थापन के सम्बन्ध में जिसे कोई स्कीम लागू होती है, निधि को संदेय किसी अभिदाय की, धारा 14ख के अधीन वसूल की जा सकने वाली किसी नुकसानी के, धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन या धारा 17 की उपधारा (5) के अधीन अन्तरित किए जाने के लिए अपेक्षित किन्हीं संचयों के बारे में या इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के या स्कीम के किसी उपबन्ध के अधीन उसके द्वारा संदेय किन्हीं प्रभारों के बारे में, अथवा

(ख) नियोजक से, छूट-प्राप्त स्थापन के सम्बन्ध में, धारा 14ख के अधीन वसूल की जा सकने वाली किसी नुकसानी के बारे में या इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन या उन शर्तों में से जो धारा 17 के अधीन विनिर्दिष्ट हैं किसी शर्त के अधीन उसके द्वारा समुचित सरकार को संदेय किन्हीं प्रभारों के बारे में या उक्त धारा 17 के अधीन कुटुम्ब पेंशन स्कीम के लिए उसके द्वारा संदेय अभिदाय के बारे में,

शोध्य है, यदि वह रकम बकाया में है तो, समुचित सरकार द्वारा उसी रीति में वसूल की जा सकेगी जिसमें भू-राजस्व की बकाया वसूल की जाती है।

नियोजकों और ठेकेदारों द्वारा धन की वसूली।

8क. (1) ठेकेदार के द्वारा या माध्यम से नियोजित कर्मचारी के बारे में नियोजक द्वारा संदत्त या संदेय अभिदाय की रकम (अर्थात् नियोजक अभिदाय और कर्मचारी अभिदाय) और ऐसे अभिदाय के आधार पर कोई प्रभार जो निधि के प्रशासन के खर्चे की पूर्ति के लिए हों ऐसे नियोजक द्वारा ठेकेदार से या तो किसी संविदा के अधीन ठेकेदार को संदेय किसी रकम में से कटौती करके या ऐसे ऋण के रूप में जो ठेकेदार द्वारा चुकाया जाना है, वसूल किए जा सकेंगे।

(2) वह ठेकेदार, जिससे उसके द्वारा या माध्यम से नियोजित किसी कर्मचारी के बारे में उपधारा (1) में वर्णित रकम वसूल की जा सकती है कर्मचारी अभिदाय को, ऐसे कर्मचारी को संदेय आधारिक मजदूरी में से, महंगाई भत्ते में से और प्रतिधारण भत्ते में से (यदि कोई हो) कटौती करके ऐसे कर्मचारी से वसूल कर सकेगा।

(3) किसी प्रतिकूल संविदा के होते हुए भी कोई भी ठेकेदार नियोजक-अभिदाय की या उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रभारों की कटौती अपने द्वारा या माध्यम से नियोजित किसी कर्मचारी को संदेय आधारिक मजदूरी में से, महंगाई भत्ते में से और प्रतिधारण भत्ते में से (यदि कोई हो) करने का या ऐसे अभिदाय या प्रभारों को ऐसे कर्मचारी से अन्यथा वसूल करने का हकदार नहीं होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा में "महंगाई भत्ते" और "प्रतिधारण भत्ते" पदों के वही अर्थ होंगे जो धारा 6 में हैं।

निधि को 1922 के अधिनियम 11 के अधीन मान्यता का दिया जाना।

1922 का 11

9. भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि निधि उस अधिनियम के अध्याय 9क के अर्थान्तर्गत मान्यताप्राप्त भविष्य-निधि है :

परन्तु उक्त अध्याय की कोई बात इस प्रकार प्रभावशील न होगी कि वह उस स्कीम के (जिसके अधीन निधि स्थापित की गई है) किसी ऐसे उपबन्ध को, जो उस अध्याय के या तदधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों में से किसी के विरुद्ध हो, प्रभावहीन बना दे।

कुर्की के विरुद्ध संरक्षण।

1908 का 5

1860 का 45

1909 का 3

10. (1) वह रकम जो किसी सदस्य के नाम निधि में या किसी छूट-प्राप्त कर्मचारी के नाम भविष्य-निधि में जमा है किसी प्रकार से समनुदिष्ट या भारित किए जाने योग्य न होगी और उस सदस्य या छूट-प्राप्त कर्मचारी द्वारा उपगत किसी ऋण या दायित्व के बारे में किसी न्यायालय की किसी डिक्री या आदेश के अधीन कुर्क नहीं की जा सकेगी और न तो प्रेसिडेंसी नगर दिवाला अधिनियम, 1909

के अधीन नियुक्त शासकीय समनुदेशिती और न प्रान्तीय दिवाला अधिनियम, 1920 के अधीन नियुक्त कोई रिसीवर ऐसी किसी रकम का हकदार होगा या उस पर कोई दावा रखेगा। 1920 का

(2) कोई रकम जो किसी सदस्य के नाम निधि में या किसी छूट-प्राप्त कर्मचारी के नाम भविष्य-निधि में उसकी मृत्यु के समय जमा है और उस स्कीम के अधीन या उस भविष्य-निधि के नियमों के अधीन उसके नामनिर्देशिती को देय है और उक्त स्कीम या नियमों द्वारा प्राधिकृत किसी कटौती के अधीन रहते हुए नामनिर्देशिती में निहित होगी और मृतक द्वारा उपगत या उस सदस्य या छूट-प्राप्त कर्मचारी की मृत्यु के पूर्व उसके नामनिर्देशिती द्वारा उपगत किसी ऋण या अन्य दायित्व से मुक्त होगी।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबन्ध, कुटुम्ब, पेंशन स्कीम के अधीन संदेय कुटुम्ब पेंशन या किसी अन्य रकम के सम्बन्ध में जहां तक हो सके, वैसे ही लागू होंगे जैसे वे निधि में से संदेय किसी रकम के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

अभिदायों के संदाय को अन्य ऋणों पर पूर्विकता।

11. जहां कोई नियोजक दिवालिया न्यायनिर्णीत किया जाता है, या यदि वह कम्पनी है तो उसके परिसमापन के लिए आदेश दिया जाता है वहां किसी ऐसी रकम के बारे में जो—

(क) निधि को देय किसी अभिदाय की बाबत धारा 14ख के अधीन वसूल की जा सकने वाली नुकसानी की बाबत, धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन अन्तरित किए जाने के लिए अपेक्षित संचयों की बाबत या इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के या स्कीम के किसी उपबन्ध के अधीन उसके द्वारा देय किन्हीं प्रभारों की बाबत उस स्थापन के सम्बन्ध में, जिसे कोई स्कीम लागू है, नियोजक द्वारा शोध्य है, या

(ख) भविष्य-निधि के नियमों के अधीन भविष्य-निधि को कोई अभिदाय (जहां तक वह छूट-प्राप्त कर्मचारियों से सम्बन्धित है), धारा 17 की उपधारा (6) के अधीन कुटुम्ब पेंशन निधि को उसके द्वारा संदेय कोई अभिदाय धारा 14ख के अधीन वसूल की जा सकने वाली नुकसानी की बाबत या इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन या धारा 17 के अधीन विनिर्दिष्ट शर्तों में से किसी के अधीन समुचित सरकार को उसके द्वारा देय किन्हीं प्रभारों के बारे में छूट-प्राप्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक द्वारा शोध्य है,

यदि उसके लिए दायित्व न्यायनिर्णयन या परिसमापन के आदेश के किए जाने से पूर्व प्रोद्भूत हुआ है तो यह समझा जाएगा कि वह उन ऋणों के अन्तर्गत आती है जिन्हें प्रेसिडेंसी नगर दिवाला अधिनियम, 1909 की धारा 49 के अधीन या प्रान्तीय दिवाला अधिनियम, 1920 की धारा 61 के अधीन या भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1913 की धारा 230 के अधीन, यथास्थिति, दिवालिए की सम्पत्ति के या उस कम्पनी की आस्तियों के जिसका परिसमापन हो रहा है वितरण में अन्य सभी ऋणों पर पूर्विकता देकर चुकाया जाना है। 1909 का 3 1891 1920 का 5 1913 का 7

नियोजक का मजदूरी आदि कम नहीं करना। 1860

12. कोई भी नियोजक किसी ऐसे स्थापन के सम्बन्ध में जिसे कोई स्कीम लागू है इस अधिनियम के या स्कीम के अधीन निधि में किसी अभिदाय का या किन्हीं प्रभारों का संदाय करने के अपने दायित्व के कारण ही उस कर्मचारी की, जिसे स्कीम लागू है मजदूरी को, या वार्धक्य पेंशन, उपदान या भविष्य-निधि की प्रकृति वाली प्रसुविधाओं की, जिन के लिए कर्मचारी अपने नियोजन के अभिव्यक्त या विवक्षित निबन्धनों के अधीन हकदार है, कुल मात्रा को प्रत्यक्षतः या परोक्षतः कम नहीं करेगा।

निरीक्षक।

13. (1) समुचित सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे व्यक्तियों को, जिन्हें वह ठीक समझती है इस अधिनियम, स्कीम या कुटुम्ब पेंशन स्कीम के प्रयोजनों के लिए निरीक्षक नियुक्त कर सकेगी, और उनकी अधिकारिता को परिनिश्चित कर सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई भी निरीक्षक इस अधिनियम के या किसी स्कीम के सम्बन्ध में दी गई किसी जानकारी के सही होने की जांच करने के प्रयोजन के लिए या यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए कि क्या उस स्थापन के बारे में, जिसे कोई स्कीम लागू है इस अधिनियम के या किसी स्कीम के उपबन्धों में से किन्हीं का अनुपालन हुआ है या यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए कि क्या इस अधिनियम या किसी स्कीम के उपबन्ध किसी ऐसे स्थापन को लागू हैं जिसे स्कीम लागू नहीं की गई है या यह अवधारण करने के प्रयोजन के लिए कि क्या उन शर्तों का जिनके अधीन धारा 17 के अधीन छूट अनुदत्त की गई थी, छूट-प्राप्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक द्वारा अनुपालन किया जा रहा है—

1920 का 5

(क) नियोजक से या किसी ऐसे ठेकेदार से, जिससे कोई रकम धारा 8क के अधीन वसूल की जा सकती है ऐसी जानकारी देने की अपेक्षा कर सकेगा जैसी वह आवश्यक समझे;

(ख) किसी युक्तियुक्त समय पर और ऐसी सहायता के साथ, यदि कोई हो, जो वह ठीक समझे किसी भी स्थापन में या उससे संसक्त परिसरों में प्रवेश कर सकेगा और उनकी तलाशी ले सकेगा और उनके भारसाधक पाए गए व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह उस स्थापन में व्यक्तियों के नियोजन से या मजदूरियों के संदाय से सम्बन्धित किन्हीं लेखाओं, बहियों, रजिस्टरों और अन्य दस्तावेजों को परीक्षा के लिए उसके समक्ष पेश करे;

(ग) पूर्वोक्त प्रयोजनों में से किसी से सुसंगत किसी बात के बारे में नियोजक की या किसी ऐसे ठेकेदार की, जिससे कोई रकम धारा 8क के अधीन वसूल की जा सकती है उसके अभिकर्ता या सेवक की या स्थापन या उससे संसक्त किसी परिसर का भारसाधक पाए गए किसी अन्य व्यक्ति की या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति की जिसके बारे में निरीक्षक के पास यह विश्वास करने के लिए युक्तियुक्त हेतुक है कि वह व्यक्ति उस स्थापन में नियोजित है या रहा है परीक्षा कर सकेगा;

(घ) स्थापन के सम्बन्ध में रखी गई किसी बही, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज की प्रतिलिपियां कर सकेगा या उनसे उद्धरण ले सकेगा, और जहां उसे यह विश्वास करने का कारण है कि नियोजक द्वारा इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है वहां ऐसी बही, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज या उसके प्रभागों का जिसे या जिन्हें वह उस अपराध के बारे में सुसंगत समझे ऐसी सहायता से जैसी वह ठीक समझे अधिग्रहण कर सकेगा;

(ङ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा जो स्कीम उपबन्धित करे।

(2क) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई भी निरीक्षक, कुटुम्ब पेंशन स्कीम के सम्बन्ध में दी गई जानकारी की शुद्धता की जांच करने के प्रयोजनार्थ या यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि क्या किसी ऐसे स्थापन के सम्बन्ध में जिसको कुटुम्ब पेंशन स्कीम लागू होती है इस अधिनियम या कुटुम्ब पेंशन स्कीम के किन्हीं उपबन्धों का अनुपालन किया गया है, उपधारा (2) के खण्ड (क), खण्ड (ख), खण्ड (ग) या खण्ड (घ) के अधीन उसे प्रदत्त सभी शक्तियों का या उनमें से किसी का प्रयोग कर सकेगा।

1898 का 5

1909 का 3
1920 का 5
1913 का 7

(2ख) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 के उपबन्ध यावत्शक्य, यथास्थिति, उपधारा (2) के अधीन या उपधारा (2क) के अधीन की तलाशी या अधिग्रहण को उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे उक्त संहिता की धारा 98 के अधीन निकाले गए वारण्ट के प्राधिकार के अधीन की गई तलाशी या अभिग्रहण को लागू होते हैं।

1860 का 45

(3) हर निरीक्षक भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा।

शास्तियां।

14. (1) जो कोई किसी ऐसे संदाय से जो इस अधिनियम, स्कीम या कुटुम्ब पेंशन स्कीम के अधीन उसके द्वारा किया जाना है बचने के लिए या ऐसे संदाय से बचने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को समर्थ करने के प्रयोजन से जानते हुए मिथ्या कथन या मिथ्या व्यपदेशन करेगा या कराएगा वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(2) स्कीम या कुटुम्ब पेंशन स्कीम यह उपबन्ध कर सकेगी कि कोई भी व्यक्ति जो उसके उपबन्धों में से किसी का उल्लंघन करेगा या उसके अनुपालन में व्यतिक्रम करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(2क) जो कोई इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का या किसी ऐसी शर्त का, जिसके अधीन रहते हुए धारा 17 के अधीन छूट अनुदत्त की गई थी, उल्लंघन करेगा या उसके अनुपालन में व्यतिक्रम करेगा, वह यदि ऐसे उल्लंघन या अनुपालन के लिए इस अधिनियम के द्वारा या अधीन कोई अन्य शास्ति अन्यत्र उपबन्धित नहीं की गई है तो, कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(3) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम, स्कीम या कुटुम्ब पेंशन स्कीम के अधीन दण्डनीय

किसी अपराध का संज्ञान ऐसे अपराध को गठित करने वाले तथ्यों की ऐसी लिखित रिपोर्ट के सिवाय नहीं करेगा जो धारा 13 के अधीन नियुक्त निरीक्षक द्वारा ऐसे प्राधिकारी की, जो समुचित सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, पूर्व मंजूरी से की गई है ।

कम्पनियों द्वारा अपराध ।

14क. (1) यदि इस अधिनियम, स्कीम या कुटुम्ब पेंशन स्कीम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कम्पनी हो तो प्रत्येक व्यक्ति जो उस उल्लंघन के समय उस कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए उस कम्पनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कम्पनी भी ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे तथा तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने के भागी होंगे :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को दण्ड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी जहां इस अधिनियम, स्कीम या कुटुम्ब पेंशन स्कीम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया हो तथा यह साबित हो कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सम्मति या मौनानुकूलता से किया गया है या उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा तथा तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण---इस धारा के प्रयोजनों के लिए---

(क) "कम्पनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है; तथा

(ख) फर्म के सम्बन्ध में "निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है ।

नुकसानी वसूल करने की शक्ति ।

14ख. जहां नियोजक निधि में किसी अभिदाय के संदाय में या उन संचयों के अन्तरण में, जो धारा 15 की उपधारा (2) के या धारा 17 की उपधारा (5) के अधीन उसके द्वारा अन्तरित किए जाने के लिए अपेक्षित हैं या इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन या किसी स्कीम के किसी उपबंन्ध के अधीन या धारा 17 में विनिर्दिष्ट शर्तों में से किसी के अधीन देय किन्हीं प्रभारों के संदाय में व्यतिक्रम करता है, वहां समुचित सरकार बकाया की रकम के पच्चीस प्रतिशत से अनधिक इतनी नुकसानी, जितनी वह अधिरोपित करना ठीक समझे, नियोजक से वसूल कर सकेगी ।

वर्तमान भविष्य-निधियों से सम्बन्धित विशेष उपबन्ध ।

15. (1) धारा 17 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए हर ऐसा कर्मचारी, जो उस स्थापन की, जिसे यह अधिनियम लागू है, किसी भविष्य-निधि का योगदाता है जब तक उस स्थापन को जिसमें वह नियोजित है, स्कीम लागू नहीं हो जाती भविष्य-निधि के अधीन अपने को प्रोद्भूत होने वाली प्रसुविधाओं का हकदार बना रहेगा, और भविष्य-निधि उसी रीति में और उन्हीं शर्तों के अधीन रखी जाएगी जिसमें और जिनके अधीन वह रखी जाती यदि यह अधिनियम पारित न होता ।

(2) किसी स्थापन को किसी स्कीम के लागू होने पर उस स्थापन की किसी भविष्य-निधि के वे संचय, जो उन कर्मचारियों के नाम जमा हैं जो स्कीम के अधीन स्थापित निधि के सदस्य बन जाते हैं, किसी तत्समय प्रवृत्त विधि में या भविष्य-निधि को स्थापित करने वाले किसी विलेख या अन्य लिखत में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी किन्तु स्कीम के उपबन्धों के, यदि कोई हों, अधीन रहते हुए स्कीम के अधीन स्थापित निधि को अन्तरित कर दिए जाएंगे और उनके हकदार कर्मचारियों के खातों में निधि में जमा कर दिए जाएंगे ।

अधिनियम का कतिपय स्थापनों को लागू न होना ।

16. (1) यह अधिनियम---

(क) सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1912 के अधीन या किसी राज्य में सहकारी सोसाइटियों से सम्बन्धित किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी ऐसे स्थापन को जिसमें पचास से कम व्यक्ति नियोजित किए जाते हैं और जो शक्ति की सहायता के बिना काम करता है लागू नहीं होगा; या 1912 का 2

(ख) किसी अन्य स्थापन को जिसमें पचास या इससे अधिक व्यक्ति या बीस या इससे अधिक किन्तु पचास से कम व्यक्ति नियोजित किए जाते हैं तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि उस तारीख से जिस तारीख को स्थापन स्थापित किया जाए या स्थापित किया गया है पूर्वकथित दशा में तीन वर्ष और पश्चात् कथित दशा में पांच वर्ष समाप्त नहीं हो जाते ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं के निवारण के लिए एतद्द्वारा यह घोषणा की जाती है कि किसी स्थापन को केवल इस कारण कि स्थापन की अवस्थिति बदल गई है नवस्थापित नहीं समझा जाएगा ।

(2) यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि स्थापनों के किसी वर्ग की वित्तीय स्थिति का और मामले की अन्य परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, और ऐसी शर्तों के अधीन जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं स्थापनों के उस वर्ग को इस अधिनियम के प्रवर्तन से ऐसी कालावधि के लिए छूट दे सकेगी जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए ।

17. (1) समुचित सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, और ऐसी शर्तों के अधीन, जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी स्कीम के सब उपबन्धों से या उनमें से किसी से—— छूट देने की शक्ति ।

(क) किसी ऐसे स्थापन को, जिसे यह अधिनियम लागू है, छूट दे सकेगी यदि उसकी यह राय हो कि अभिदाय की दर की बाबत उसकी भविष्य-निधि के नियम, धारा 6 में विनिर्दिष्ट नियमों की अपेक्षा कम अनुकूल नहीं हैं और कर्मचारी अन्य भविष्य-निधि प्रसुविधाओं का भी उपभोग कर रहे हैं जो सब बातों को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों के लिए उन प्रसुविधाओं की अपेक्षा कम अनुकूल नहीं हैं, जो इस अधिनियम या किसी स्कीम के अधीन उसी प्रकार के किसी अन्य स्थापन के कर्मचारियों के सम्बन्ध में उपबन्धित हैं, या

(ख) किसी भी स्थापन को छूट दे सकेगी यदि ऐसे स्थापन के कर्मचारी भविष्य-निधि, पेंशन या उपदान की प्रकृति की प्रसुविधाओं का उपभोग कर रहे हैं और समुचित सरकार की यह राय हो कि पृथक्तः या संयुक्ततः ये प्रसुविधाएं सब बातों को ध्यान में रखते हुए, कर्मचारियों के लिए उन प्रसुविधाओं की अपेक्षा कम अनुकूल नहीं हैं जो इस अधिनियम या किसी स्कीम के अधीन उसी प्रकार के किसी अन्य स्थापन के कर्मचारियों के सम्बन्ध में उपबन्धित हैं ।

(1क) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, और ऐसी शर्तों के अधीन, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, कुटुम्ब पेंशन स्कीम के सब उपबन्धों के या उनमें से किसी के प्रवर्तन से किसी स्थापन को छूट दे सकेगी यदि ऐसे स्थापन के कर्मचारी कुटुम्ब पेंशन की प्रकृति की किसी प्रसुविधा का उपभोग कर रहे हैं, और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसी प्रसुविधाएं सब बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसे कर्मचारियों के लिए इस अधिनियम या कुटुम्ब पेंशन स्कीम के अधीन उसी प्रकार के किसी अन्य स्थापन के कर्मचारियों के सम्बन्ध में उपबन्धित प्रसुविधाओं की अपेक्षा कम अनुकूल नहीं हैं ।

(2) यदि ऐसे किसी स्थापन में, जिसे कोई स्कीम लागू है, नियोजित व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग भविष्य-निधि, उपदान या वार्धक्य पेंशन की प्रकृति की प्रसुविधाओं का हकदार है और ऐसी प्रसुविधाएं पृथक्तः या संयुक्ततः सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम के या स्कीम के अधीन उपबन्धित प्रसुविधाओं की अपेक्षा साधारणतया कम अनुकूल नहीं हैं तो वह ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को स्कीम के सब या किन्हीं उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देने के लिए उपबन्ध कर सकेगी :

परन्तु ऐसी कोई भी छूट व्यक्तियों के किसी वर्ग की बाबत तब तक न दी जाएगी जब तक कि समुचित सरकार की यह राय न हो कि ऐसे वर्ग में आने वाले व्यक्तियों की बहुसंख्या ऐसी प्रसुविधाओं का हकदार बने रहने की वांछा रखती है ।

(3) जहां स्थापन में नियोजित किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग के बारे में किसी स्कीम के सब या किन्हीं उपबन्धों के प्रवर्तन से इस धारा के अधीन छूट दी गई है (चाहे ऐसी छूट उस स्थापन को दी गई हो जिसमें ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग नियोजित है या उस व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को उस रूप में दी गई हो) वहां ऐसे स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक——

1912 का 2

(क) उस भविष्य-निधि, पेंशन और उपदान के सम्बन्ध में जिसका ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग हकदार है, ऐसे लेखे रखेगा, ऐसी विवरणियां देगा और ऐसे विनिधान करेगा,

निरीक्षणार्थ ऐसी सुविधाओं के लिए उपबन्ध करेगा और ऐसे निरीक्षण प्रभार देगा जो केन्द्रीय सरकार निदेश करे;

(ख) पेंशन, उपदान या भविष्य-निधि की प्रकृति की जिन प्रसुविधाओं का ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग छूट के समय हकदार था, उनकी कुल मात्रा को छूट के पश्चात् किसी भी समय केन्द्रीय सरकार की इजाजत के बिना नहीं घटाएगा, और

(ग) जहां ऐसा कोई व्यक्ति अपना नियोजन छोड़ देता है और किसी अन्य स्थापन में जिसको यह अधिनियम लागू है पुनर्नियोजन अभिप्राप्त कर लेता है वहां उस व्यक्ति द्वारा छोड़े गए स्थापन की भविष्य-निधि में संचयों की जो रकम उस व्यक्ति के खाते में जमा है उस रकम को उस स्थापन की जिसमें वह व्यक्ति पुनर्नियोजित होता है भविष्य-निधि में या यथास्थिति उस स्थापन को लागू होने वाली स्कीम के अधीन स्थापित निधि में उस व्यक्ति के जमा खाते में इतने समय के भीतर जितना केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, अंतरित कर देगा ।

(4) यदि नियोजक—

(क) उपधारा (1) के अधीन अनुदत्त छूट की दशा में उस उपधारा के अधीन अधिरोपित शर्तों में से किसी शर्त का या उपधारा (3) के उपबन्धों में से किसी उपबन्ध का,

(कक) उपधारा (1क) के अधीन दी गई छूट की दशा में उस उपधारा के अधीन अधिरोपित किसी शर्त का; और

(ख) उपधारा (2) के अधीन अनुदत्त छूट की दशा में, उपधारा (3) के उपबन्धों म से किसी उपबन्ध का,

अनुपालन करने में असफल रहता है तो इस धारा के अधीन अनुदत्त छूट उस प्राधिकारी द्वारा, जिसने उसे अनुदत्त किया था, लिखित आदेश द्वारा रद्द की जा सकेगी ।

(5) जहां उपधारा (1), उपधारा (1क) या उपधारा (2) के अधीन दी गई कोई छूट रद्द की जाती है वहां प्रत्येक कर्मचारी के जिसको ऐसी छूट लागू होती है, उस स्थापन की जिसमें वह नियोजित है भविष्य-निधि में या कुटुम्ब पेंशन निधि में खाते में संचित राशि, यथास्थिति, निधि या कुटुम्ब पेंशन निधि में उसके खाते में ऐसे समय के अन्दर और ऐसी रीति में अन्तरित की जाएगी जो स्कीम या कुटुम्ब पेंशन स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए ।

(6) उपधारा (1क) के उपबन्धों के अधीन, किसी छूट-प्राप्त स्थापन का या किसी ऐसे स्थापन के जिसको कुटुम्ब पेंशन स्कीम के उपबन्ध लागू होते हैं किसी छूट-प्राप्त कर्मचारी का नियोजक, उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन छूट दी जाने पर भी, किसी कुटुम्ब पेंशन निधि को नियोजक के अभिदाय का ऐसा भाग और कर्मचारी की भविष्य-निधि का अभिदाय ऐसे समय के अन्दर और ऐसी रीति में संदाय करेगा जो कुटुम्ब पेंशन स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए ।

खातों का अन्तरण ।

17क. (1) जहां किसी ऐसे स्थापन में, जिसे यह अधिनियम लागू है, नियोजित कर्मचारी अपना नियोजन छोड़ देता है और किसी ऐसे अन्य स्थापन में जिसे यह अधिनियम लागू नहीं है पुनर्नियोजन अभिप्राप्त कर लेता है वहां, उसके द्वारा छोड़े गए स्थापन की, यथास्थिति, निधि में या भविष्य-निधि में ऐसे कर्मचारी के नाम जमा संचयों की रकम उस स्थापन की, जिसमें वह पुनर्नियोजित होता है, भविष्य-निधि में उसके खाते में इतने समय के भीतर जितना कि केन्द्रीय सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, अन्तरित कर दी जाएगी यदि कर्मचारी ऐसी वांछा करे और उस भविष्य-निधि से सम्बन्धित नियम ऐसे अन्तरण को अनुज्ञात करें ।

(2) जहां किसी ऐसे स्थापन में जिसे यह अधिनियम लागू नहीं है नियोजित कर्मचारी अपना नियोजन छोड़ देता है और किसी ऐसे अन्य स्थापन में जिसे यह अधिनियम लागू है पुनर्नियोजन अभिप्राप्त कर लेता है वहां उसके द्वारा छोड़े गए स्थापन की भविष्य-निधि में ऐसे कर्मचारी के नाम जमा संचयों की रकम उस स्थापन की, जिसमें वह पुनर्नियोजित होता है, यथास्थिति, निधि या भविष्य-निधि में उसके खाते में अन्तरित की जा सकेगी यदि कर्मचारी ऐसी वांछा करे और ऐसी भविष्य-निधि से सम्बन्धित नियम यह अनुज्ञात करें ।

सद्भावपूर्वक किए गए कार्यों के लिए परित्राण ।

18. कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही किसी ऐसी बात के लिए निरीक्षक या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी जो इस अधिनियम, स्कीम या कुटुम्ब पेंशन स्कीम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई है या की जाने के लिए आशयित है ।

शक्तियों का प्रत्यायोजन ।

19. समुचित सरकार यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम, स्कीम या कुटुम्ब पेंशन स्कीम के अधीन जो शक्ति, या प्राधिकार या अधिकारिता उसके द्वारा प्रयोक्तव्य हैं वे ऐसे विषयों के सम्बन्ध में और ऐसी शर्तों के, यदि कोई हों, अधीन रहते हुए जिन्हें निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए—

(क) जहां समुचित सरकार केन्द्रीय सरकार है वहां केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा या राज्य सरकार द्वारा या राज्य सरकार के अधीनस्थ ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा, जैसा उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए; तथा

(ख) जहां समुचित सरकार राज्य सरकार है वहां राज्य सरकार के अधीनस्थ ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा जैसा उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए;

भी प्रयोक्तव्य होगी ।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति ।

19क. यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावशील करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है और, विशिष्टतया, यदि निम्नलिखित के सम्बन्ध में कोई सन्देह उत्पन्न होता है—

(i) कि क्या कोई स्थापन जो कारखाना है अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट किसी उद्योग में लगा हुआ है,

(ii) कि क्या कोई विशिष्ट स्थापन, उन स्थापनों के वर्ग के, जिन्हें धारा 1 की उपधारा (3) के खण्ड (ख) के अधीन की अधिसूचना के आधार पर यह अधिनियम लागू होता है, भीतर आने वाला स्थापन है,

(iii) स्थापन में नियोजित व्यक्तियों की संख्या, या

(iv) उन वर्षों की संख्या जो उस तारीख से जिसको स्थापन की स्थापना हुई थी, बीत चुके हैं,

(v) कि क्या उन प्रसुविधाओं की कुल मात्रा जिनका कर्मचारी हकदार है, नियोजक द्वारा कम कर दी गई हैं,

तो केन्द्रीय सरकार आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध कर सकेगी या ऐसे निदेश दे सकेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों जो उसे उस शंका या कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों और ऐसे मामलों में केन्द्रीय सरकार का आदेश अन्तिम होगा ।

अनुसूची 1

[धाराएं 2(झ) और 4 देखिए]

निम्नलिखित में से किसी के विनिर्माण में लगा हुआ कोई उद्योग, अर्थात् :—

सीमेंट ।

सिगरेट ।

वैद्युत्, यांत्रिक या साधारण इंजीनियरी उत्पाद ।

लोहा तथा इस्पात ।

कागज ।

तान्तव (जो पूर्णतः या अंशतः रुई या ऊन या जूट या प्राकृतिक अथवा कृत्रिम रेशम से बने हैं) ।

1. दियासलाई ।
2. खाद्य तेल और वसा ।
3. चीनी ।
4. रबड़ और रबड़ उत्पाद ।

5. विद्युत् जिसके अन्तर्गत उसका उत्पादन, संचरण और वितरण आता है ।

6. चाय ।

7. मुद्रण [जो श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) तथा प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1955 में यथापरिभाषित समाचारपत्रीय स्थापनों से सम्बन्धित मुद्रण उद्योग से भिन्न है] और जिसके अन्तर्गत मुद्रण के लिए टाइप कम्पोज करने की प्रक्रिया, लेटर प्रेस द्वारा मुद्रण, लिथोग्राफी, फोटोग्रेव्यूर या अन्य ऐसी ही प्रक्रिया या जिल्दबन्दी आती है । 1955 का 45

8. कांच ।

9. पत्थर चीनी के पाइप ।

10. सेनिटरी वेअर्स (स्वच्छता भाण्ड) ।

11. उच्च और निम्न विभव के चीनी मिट्टी के विद्युत् रोधक ।

12. उच्चतापसह द्रव्य ।

13. टाइल ।

1. भारी और परिष्कृत रसायन जिनके अन्तर्गत निम्नलिखित आते हैं :—

(i) उर्वरक,
(ii) तारपीन,
(iii) रोजिन,
(iv) चिकित्सीय और भैषजिक निर्मितियां,
(v) प्रसाधन निर्मितियां,
(vi) साबुन,
(vii) स्याही,
(viii) मध्यक, रंजक, वर्ण लेक और टोनर,
(ix) वसा-अम्ल, और
(x) आक्सीजन, एसेटिलीन और कार्बन डाइआक्साइड गैस का उद्योग ।

2. नील ।

3. लाख जिसके अन्तर्गत चपड़ा भी आता है ।

4. अखाद्य वनस्पति तेल और जान्तव तेल तथा वसा ।

खनिज तेल परिशोधन उद्योग ।

(i) औद्योगिक और पावर एलकोहल उद्योग, और
(ii) एस्बेस्टस सीमेन्ट चादर उद्योग ।

बिस्कुट बनाने का उद्योग जिसके अन्तर्गत ऐसे संयुक्त एकक आते हैं जो बिस्कुट, डबल रोटी, कन्फेक्शनरी और दूध और दूध पाउडर जैसे उत्पाद बनाते हैं ।

अभ्रक उद्योग ।

प्लाईवुड उद्योग ।

मोटरगाड़ी की मरम्मत और सर्विसिंग उद्योग ।

धान कुटाई ।

आटा पिसाई ।

दाल दलाई ।

स्टार्च उद्योग ।

1. पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस के लिए खोज, पूर्वेक्षण, वेधन या उसका उत्पादन ।

2. पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस का परिशोधन ।

1955 का

चर्म तथा चर्म उत्पाद उद्योग ।

1. पत्थर चीनी के मर्तबान ।

2. चीनी मिट्टी के बर्तन ।

फलों और सब्जियों के परिरक्षण का उद्योग अथवा कोई भी उद्योग जो निम्नलिखित वस्तुओं में किसी की तैयारी या उत्पादन में लगा हुआ है, अर्थात्:—

(i) डिब्बा बन्द और बोतल बन्द फल, रस और गूदा,

(ii) डिब्बा बन्द और बोतल बन्द सब्जी,

(iii) हिमित फल और सब्जी,

(iv) जैम, जैली और मार्मलेड,

(v) टमाटर उत्पाद, केचप और सास,

(vi) स्क्वैश, क्रश, कार्डियल और सेवन के लिए तैयार पेय या फल के रस या गूदे वाला कोई अन्य पेय,

(vii) परिरक्षित, कंदित और क्रिस्टलित फल तथा छिलके,

(viii) चटनी,

(ix) फलों और सब्जियों के परिरक्षण या डिब्बा बन्दी से सम्बन्धित कोई अन्य पदार्थ जो विनिर्दिष्ट न किया गया हो ।

काजू उद्योग ।

कन्फेक्शनरी उद्योग ।

1. बटन ।

2. ब्रुश ।

3. प्लास्टिक और प्लास्टिक उत्पाद ।

4. स्टेशनरी उत्पाद ।

वातित जल उद्योग, अर्थात्, वातित जल मृदुपेय या कार्बोनेटित जल के विनिर्माण में लगा हुआ उद्योग ।

(औद्योगिक और पावर अलकोहल के अधीन न आने वाली) स्पिरिटों का आसवन और परिशोधन और स्पिरिटों का सम्मिश्रण उद्योग ।

पेन्ट और वार्निश उद्योग ।

हड्डी पीसने का उद्योग ।

पिकर्स उद्योग ।

दूध और दूध के उत्पादों के उद्योग ।

सिल के रूप में, अलौह धातु और अलौह मिश्र धातु का उद्योग ।

डबल रोटी उद्योग ।

तम्बाकू के पत्ते को डंठल से अलग करने या पुनः सुखाने का उद्योग, अर्थात् तम्बाकू के पत्ते का डंठल अलग करने, पुनः सुखाने, संभालने, छांटने, श्रेणीकरण या पैक करने का कोई उद्योग ।

अगरबत्ती उद्योग (जिसके अन्तर्गत धूप और धूपबत्ती उद्योग आता है) ।

कायर उद्योग (जिसमें कताई का क्षेत्र नहीं आता है) ।

तम्बाकू उद्योग, अर्थात् कोई उद्योग जो कि सिगार, जरदा, नसवार, किवाम और गुडाकू वाला तम्बाकू बनाने में लगा हुआ है ।

कागज उत्पाद उद्योग ।

नमक उद्योग अर्थात् कोई उद्योग जो ऐसा नमक बनाने में लगा हुआ है जिसके लिए अनुज्ञप्ति आवश्यक है और जिसके पास की भूमि दस एकड़ से कम नहीं है ।

लिनोलियम उद्योग और इंडोलियम उद्योग ।

विस्फोटक उद्योग ।

जूट की गांठ बनाना या सम्पीडन उद्योग ।

आतिशबाजी और आघात टोपी बनाने का उद्योग ।

तम्बू बनाने का उद्योग ।

फैरो-मैंगनीज उद्योग ।

बर्फ और आइसक्रीम उद्योग ।

स्पष्टीकरण---इस अनुसूची में प्रयुक्त पदों के सामान्य अर्थ पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना---

(क) वैद्युत्, यांत्रिक या साधारण इंजीनियरी उत्पाद पद के अन्तर्गत निम्नलिखित आते हैं---

(1) विद्युत् ऊर्जा के उत्पादन, संचरण, वितरण या मापन के लिए मशीनरी और उपस्कर तथा मोटर जिनके अन्तर्गत केबिल और तार आते हैं ।

(2) टेलीफोन, टेलिग्राफ और बेतार संचार साधित्र ।

(3) बिजली के लैम्प (जिनके अन्तर्गत कांच के बल्ब नहीं आते) ।

(4) बिजली के पंखे और बिजली के घरेलू साधित्र ।

(5) संचायक तथा शुष्क बैटरियां ।

(6) रेडियो रिसीवर तथा ध्वनि प्रत्युत्पादक उपकरण ।

(7) उद्योग में काम में आने वाली (टैक्सटाईल मशीनरी सहित) मशीनरी जो वैद्युत् मशीनरी तथा मशीनी औजारों से भिन्न है ।

(8) बायलर तथा प्राइम मूवर जिनके अन्तर्गत अन्तर्दहन इंजिन, समुद्री इंजिन और चलित्र आते हैं ।

(9) मशीनी औजार अर्थात् धातु तथा लकड़ी का काम करने वाली मशीनरी ।

(10) घिसाई चक्र ।

(11) पोत ।

(12) मोटर गाड़ी और ट्रैक्टर ।

(13) बोल्ट, ढिबरी और रिवट ।

(14) शक्तिचालित पम्प ।

(15) बाइसिकल ।

(16) हरीकेन लालटेन ।

(17) सिलाई और बुनाई की मशीन ।

(18) गणित सम्बन्धी उपकरण तथा वैज्ञानिक उपकरण ।

(19) धातु वेलन और पुनर्वेलन उत्पाद ।

(20) तार, पाइप, नल और फिटिंग ।

(21) ढली हुई लौह या अलौह वस्तुएं ।

(22) लौह या इस्पात या इस्पात मिश्र धातु से निर्मित तिजोरी, तहखाना या फर्नीचर ।

(23) कटलरी तथा शल्य उपकरण ।

(24) ड्रम तथा पात्र ।

(25) मद 1 से लेकर 24 तक में विनिर्दिष्ट उत्पादों के पुर्जे और उपांग ।

(ख) "लोहा तथा इस्पात" पद के अन्तर्गत कच्चा लोहा, सिल, ब्लूम, बिलेट, आधारिक प्ररूपों में वलित या पुनर्वेलित उत्पाद और औजारी तथा मिश्र इस्पात आते हैं ।

(ग) "कागज" पद के अन्तर्गत लुगदी, पेपरबोर्ड और स्ट्राबोर्ड आते हैं ।

(च) "तान्तव" पद के अन्तर्गत धुनाई, कताई, बुनाई के सूत और कपड़े के परिरूपण और रंगाई के, छपाई, बुनाई तथा कसीदाकारी के उत्पाद आते हैं।

अनुसूची 2

[धारा 5 (1ख) देखिए]

वे बातें जिन के लिए स्कीम में उपबन्ध किए जा सकेंगे

1. वे कर्मचारी या उन कर्मचारियों का वर्ग जो निधि में सम्मिलित होंगे और वे शर्तें जिन के अधीन कर्मचारियों को निधि में सम्मिलित होने से या कोई अभिदाय करने से छूट दी जा सकेगी।

2. वह समय और रीति जिसमें नियोजकों द्वारा और कर्मचारियों द्वारा (चाहे वे उसके द्वारा सीधे या ठेकेदार के द्वारा या माध्यम से नियोजित किए गए हों) या उनकी ओर से निधि में अभिदाय किए जाएंगे और वे अभिदाय जो कर्मचारी, यदि वह ऐसा करने की वांछा करे, धारा 6 के अधीन कर सकेगा और वह रीति जिसमें ऐसे अभिदाय वसूल किए जा सकेंगे।

2क. वह रीति जिसमें कर्मचारियों का अभिदाय ठेकेदारों द्वारा उन कर्मचारियों से जो ऐसे ठकेदारों के द्वारा या माध्यम से नियोजित हैं,वसूल किए जा सकेंगे।

3. नियोजक द्वारा ऐसी धन राशियों का संदाय जो निधि के प्रशासन के खर्च की पूर्ति के लिए आवश्यक हों और वह दर जिससे और वह रीति जिसमें संदाय किया जाएगा।

4. किसी न्यासी बोर्ड की सहायता के लिए किसी समिति का गठन।

5. किसी न्यासी बोर्ड के प्रादेशिक तथा अन्य कार्यालयों का खोला जाना।

6. वह रीति जिसमें लेखे रखे जाएंगे, केन्द्रीय सरकार द्वारा निकाले गए किन्हीं निदेशों या विनिर्दिष्ट की गई किन्हीं शर्तों के अनुसार निधि के धनों का विनिधान, बजट की तैयारी, लेखाओं की संपरीक्षा और केन्द्रीय सरकार को या किसी विनिर्दिष्ट राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

7. वे शर्तें जिनके अधीन निधि में से रकम का निकाला जाना अनुज्ञात किया जा सकेगा और कोई कटौती या समपहरण किया जा सकेगा और ऐसी कटौती या समपहरण की अधिकतम रकम।

8. केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्पृक्त न्यासी बोर्ड से परामर्श करके सदस्यों को देय ब्याज की दर नियत करना।

9. वह प्ररूप जिसमें कर्मचारी अपने और अपने कुटुम्ब के बारे में, जब कभी उससे अपेक्षा की जाए, विशिष्टियां देगा।

10. सदस्य की मृत्यु के पश्चात् उसके नाम में जमा रकम को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति का नामनिर्देशन और ऐसे नामनिर्देशन को रद्द करना या बदलना।

11. वे रजिस्टर और अभिलेख जो कर्मचारियों के बारे में रखे जाने हैं और विवरणियां जो नियोजकों या ठेकेदारों द्वारा दी जानी हैं।

12. किसी कर्मचारी की पहचान के प्रयोजन के लिए पहचान-पत्र, टोकन या डिस्क का प्ररूप या डिजाइन और उसका दिया जाना, अभिरक्षा और प्रतिस्थापन।

13. वे फीसें जो इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों में से किसी के लिए उद्ग्रहण की जानी हैं।

14. वे उल्लंघन या व्यतिक्रम जो धारा 14 की उपधारा (2) के अधीन दंडनीय होंगे।

15. वे अतिरिक्त शक्तियां, यदि कोई हों, जिनका प्रयोग निरीक्षकों द्वारा किया जा सकेगा।

16. वह रीति जिसमें किसी वर्तमान भविष्य-निधि में संचय धारा 15 के अधीन निधि को अन्तरित किए जाएंगे और उन आस्तियों के मूल्यांकन का ढंग जो नियोजकों द्वारा इस निमित्त अन्तरित की जाएं।

17. वे शर्तें जिनके अधीन निधि में से जीवन बीमा की बाबत प्रीमियम चुकाने के लिए सदस्य को अनुज्ञात किया जाए।

18. कोई अन्य बात जिसका उपबन्ध स्कीम में किया जाना है या जो स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक या उचित हो।

अनुसूची 3

[धारा 6क (4) देखिए]

वे बातें जिनके लिए कुटुम्ब पेंशन स्कीम में उपबन्ध किया जा सकेगा

1. वे कर्मचारी या उन कर्मचारियों का वर्ग जिनको कुटुम्ब पेंशन स्कीम लागू होगी और वह समय जिसके अन्दर स्कीम में सम्मिलित होने के विकल्प का प्रयोग उन कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा जिनको उक्त स्कीम लागू नहीं होती है।

2. धारा 6क(2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, नियोजक-अभिदाय और कर्मचारी-अभिदाय का वह प्रभाग जो कुटुम्ब पेंशन निधि में जमा किया जा सकता है और वह रीति जिससे ऐसा अभिदाय जमा किया जा सकता है।

3. केन्द्रीय सरकार द्वारा कुटुम्ब पेंशन निधि को अभिदाय और वह रीति जिससे ऐसा अभिदाय किया जाना है।

4. वह रीति जिसमें कुटुम्ब पेंशन निधि के लेखे रखे जाएंगे तथा कुटुम्ब पेंशन निधि के धनों का केन्द्रीय सरकार के पास ब्याज की ऐसी दर पर विनिधान जो 5-1/2 प्रतिशत प्रति वर्ष से कम नहीं होगी।

5. वह प्ररूप जिसमें कर्मचारी जब भी अपेक्षा की जाए तब, अपने और अपने कुटुम्ब के बारे में विशिष्टियां देगा।

6. कर्मचारी को शोध्य बीमे की रकम उसकी मृत्यु के पश्चात् प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति का नामनिर्देशन और ऐसे नामनिर्देशन को रद्द करना या बदलना।

7. वे रजिस्टर और अभिलेख जो कर्मचारियों के बारे में रखे जाने हैं, किसी कर्मचारी या उसके नामनिर्देशिती या पेंशन प्राप्त करने के हकदार कुटुम्ब के किसी सदस्य की पहचान करने के प्रयोजनार्थ किसी पहचान-पत्र, टोकन या डिस्क का प्ररूप या डिजाइन।

8. कुटुम्ब पेंशन के मान और बीमा की रकम।

9. वह रीति जिससे छूट-प्राप्त स्थापनों को कुटुम्ब पेंशन निधि के लिए अभिदायों (कर्मचारी और नियोजकों दोनों के अंशों) का संदाय करना है और उससे सम्बन्धित विवरणियां का प्रस्तुत किया जाना।

10. कुटुम्ब पेंशन के संवितरण का ढंग और ऐसे संवितरण करने वाले अभिकरणों से, जो इस प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट किए जाएं, किए जाने वाले ठहराव।

11. वह रीति जिससे कुटुम्ब पेंशन स्कीम के प्रशासन के सम्बन्ध में उपगत व्यय केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय बोर्ड को दिए जाने हैं।

12. कोई अन्य बात जिसके लिए कुटुम्ब पेंशन स्कीम में उपबन्ध किया जाना हो या जो कुटुम्ब पेंशन स्कीम को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या उचित हो।

के० के० सुन्दरम्
सचिव, भारत सरकार।

©

भारत सरकार

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय

सत्यमेव जयते

खान अधिनियम, 1952

(1952 का अधिनियम संख्यांक 35)

[1 दिसम्बर, 1992 को यथाविद्यमान]

The Mines Act, 1952

(Act No. 35 of 1952)

[*As on the 1st December, 1992*]

1992

महाप्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, नासिक-422006 द्वारा मुद्रित तथा
प्रकाशन-नियंत्रक, भारत सरकार, सिविल लाईन्स, दिल्ली-110 054 द्वारा प्रकाशित।

मूल्य : (देश में) रु० 9.00 (विदेश में) पौंड 1.05 या डालर 3 24 सेन्ट्स्